

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 109/2007/झुञ्जुनू

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उड़नदस्ता-चिड़ावा, झुञ्जुनू

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स राधाकिशन एण्ड संस, सिंघाना

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अधिवक्ता

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री अलकेश शर्मा, अधिवक्ता

.....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : 18/04/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 290/आरएसटी/झुञ्जुनू/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 20.07.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता चिड़ावा, झुञ्जुनू (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2005 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 78(5) एवं सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 के तहत कायम कर रुपये 3,315/- एवं शास्ति रुपये 24,863/- कुल रुपये 28,178/- को अपास्त किया है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 07.10.2005 को सिंघाना जसरापुर मार्ग पर वाहन संख्या आर.जे.18जी-1585 को परिवहन के दौरान चैक किया गया। वक्त जांच वाहन में 65 बोरी सरसों 85 किलो प्रत्येक बोरी में लदा हुआ पाया गया, उक्त माल के संबंध में वाहन चालक एवं माल प्रभारी से पूछताछ पर उन्होंने अवगत कराया कि उसके द्वारा उक्त वाहन में लदा माल जसरापुर से लदान किया गया तथा सिंघाना के लिए ले जाना बतलाया तथा परिवहनित माल काश्तकार से क्रय किया जाना उल्लेखित किया। माल के साथ काश्तकार के मौजूद नहीं होने एवं प्रस्तुत लेटरपैड पर काश्तकार के नाम व पते नहीं होने के आधार पर सशक्त अधिकारी द्वारा माल विहित दस्तावेजों के बिना एवं मिथ्या प्रकटन से माल का प्रेषण किया जाना पाते हुए अधिनियम की धारा 78(2)(9) का उल्लंघन कर करवंचना पाई जाने के आधार पर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत कर रुपये 3,315/- एवं शास्ति रुपये 24,863/- आरोपित की गई। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा

31

निरन्तर.....2

अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अपीलीय अधिकारी ने स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशियों को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप-राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को विधि विरुद्ध बताया एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।
4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थी एक पंजीकृत व्यवसायी है एवं उसके द्वारा कृषि जिनसों का कारोबार किया जाता है तथा उसके यहां मुरारीलाल पुत्र श्री बिस्धीचन्द महाजन ग्राम जसरापुर तहसील खेतडी, जो कि एक काश्तकार है, से 65 बोरी सरसों बिकने आ रही थी। माल परिवहन के दौरान प्रत्यर्थी के लेटरपैड क्रमांक 6 दिनांक 06.10.2005 पर माल से सम्बन्धित विवरण अंकित था। उनका यह भी कथन है कि चूंकि माल काश्तकारों से क्रय किया गया था अतः उसके साथ बिल का होना बाध्यकारी नहीं है। इसमें किसी प्रकार की कर चोरी मंशा नहीं थी अतः उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।
5. उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में मार्गस्थ माल 65 बोरी सरसों का परिवहन राज्य के भीतर ही स्थानीय स्तर पर काश्तकार के वहां से निकटस्थ कृषि मण्डी में माल ले जाये जाने का प्रकरण है जिसमें प्रत्यर्थी व्यवहारी के लैटर पैड पर की गई घोषणा वाहन चालक के पास वक्त जांच पायी गई थी। विचारणीय प्रश्न यह है कि कृषि उत्पाद जो कि या तो स्वयं किसान द्वारा कृषि उपज मण्डी तक लाये जाते हैं अथवा दूसरी स्थिति में व्यापारीगण द्वारा किसानों से कृषि उत्पाद खरीद कर स्वयं के व्यवसाय स्थल तक लाये जाते हैं या किसानों की सुविधा हेतु उनके लिये (on behalf of such agriculturalists) कृषि उत्पादों का परिवहन कृषि मण्डी तक व्यापारी द्वारा भी किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कौनसे कागजात माल के साथ में रखे जाने की अनिवार्यता है? हालांकि व्यावहारिकता को देखते हुए यह संभव नहीं है कि कृषि उपज के स्थानीय स्तर पर परिवहन किये जाने पर किसान अपने कृषि उत्पाद से संबंधित कागजात परिवहनित माल के साथ में रखे। अधिनियम के अंतर्गत भी धारा 76(2) में स्वयं का कृषि उत्पाद राज्य के भीतर ही अपने स्थान से कृषि मण्डी आदि तक ले जाने के लिये किसी प्रकार के प्रपत्रों को साथ रखने की अनिवार्यता प्रावधित नहीं है। द्वितीयतः, यदि किसी व्यवहारी द्वारा ग्रामीण इलाकों से कृषि उत्पादों की खरीद स्वयं के स्तर पर की जाकर ऐसा माल अपने व्यवसाय स्थल के लिये परिवहनित किया जाता है अथवा किसान से आपसी सहमति के आधार पर माल उसके खेतों या स्थान से अपने वाहन में कृषि मण्डी स्थित अपने व्यवसाय स्थल पर ले जाया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी कोई विशिष्ट प्रपत्र (Specified documents) परिवहनित माल के साथ होने के कोई विशिष्ट प्रावधान अधिनियम अथवा

31

नियमों में उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में व्यवहारी द्वारा परिवहनित माल के संबंध में विशिष्ट घोषणा एवं देयकर की जिम्मेदारी लेने की अण्डरटेकिंग संबंधी पत्र मार्गस्थ माल के दस्तावेजों के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य माना जाना चाहिए।

6. प्रस्तुत प्रकरण में जांच के समय प्रत्यर्थी के लैटर हैड क्रमांक 6 दिनांक 06.10.05 पर निम्नानुसार घोषणा पायी गई थी :-

“सेवा में,

श्रीमान वाणिज्यिक कर अधिकारी
एवं कृषि उपजमण्डी समिति अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

महोदय,

निवेदन है कि गाडी नं. RJ18 G 1585 में काश्तकारों कि सरसों बोरी 60 से 65 के लगभग लोड होकर हमारी दुकान पर बिकने हेतु आ रही है इस माल का तोल दुकान पर आने के बाद होगा एवं नियमानुसार जमा खर्च होगा। इसके टैक्स एवं मण्डी टैक्स की जीमेवारी हमारी है।

For Radha Kishan & Sons

Sd
Partner

प्रार्थी
पवन कुमार मुनीम

इस संबंध में धारा 78(2)ए पर भी दृष्टिपात करना आवश्यक है, जो कि निम्न प्रकार है :-

"78. Establishment of check-post and inspection of goods while in movement.-


(1).....

(2) The driver or the person incharge of a vehicle or carrier or of goods in movement shall,-

(a) carry with him a goods vehicle record including "challans" and "bilties", bills of sale or despatch memos and prescribed declaration forms;"

उक्त प्रावधानों के अनुसार मार्गस्थ माल के साथ प्रत्यर्थी व्यवहारी की जो घोषणा पायी गई थी उसे "despatch memos" की श्रेणी में माना जायेगा।

7. उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से विदित है कि प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति में (in particular facts and circumstances of the case) मार्गस्थ माल के संबंध में वांछित प्रपत्र साथ में थे तथा ऐसे में न तो धारा 78(2)ए का उल्लंघन पाया जाता है तथा न ही कोई करवंचना का प्रयास पाया जाता है, अतः धारा 78(5) के अंतर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।
8. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।
9. निर्णय सुनाया गया।


18.04.2018
(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य